राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

प. 16(19)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2019 जयपुर, दिनांकः 4/9/2020

आदेश

राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालयों में वर्तमान वर्ष में पीजी उत्तीर्ण छात्रों को उनके मूल दस्तावेज लौटाये नहीं गये है, क्योंकि निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3586 दिनांक 07.08.2020 के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं उनसे इस हेतु सम्बद्ध किये गये राजमेस मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत एवं रिक्त सीनियर रेजीडेंट के पदों की पूर्ति उक्त छात्रों से दिनांक 30.08.2020 तक की जानी थी।

चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा उक्त आदेश की पालना में रिक्त सीनियर रेजीडेंट पदों की पूर्ति कर ली गई है तथा कुछ महाविद्यालयों द्वारा नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त के मद्देनजर जिन विषयों में चिकित्सा महाविद्यालय में सीनियर रेजीडेंट के पदों पर शत प्रतिशत नियुक्ति कर दी गई है, उन विषयों के पीजी उत्तीर्ण छात्रों को दस्तावेज प्रदान कर दिये जावे। साथ ही जिन छात्रों का चयन सीनियर रेजीडेंट हेतु राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों यथा AIIMS/PGI/JPMIR में हुआ है, उन्हें भी मूल दस्तावेज प्रदान किये जावे। दस्तावेज देने से पूर्व राज्य सरकार में जरूरत होने पर बॉण्ड अनुसार सेवा देने के लिए तैयार होने का शपथ पत्र प्राप्त किया जावे।

संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा दस्तावेज लौटाये जाने से पूर्व उपरोक्त शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

4/9/2020
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. निजी सचिव, आयुक्त निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा।
4. निजी सचिव, निदेशक, राजमेस जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. समस्त प्रधानाचार्य नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा को अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

4.9.20
उप शासन सचिव